materials are getting destroyed due to its perishable nature; and

(b) if so, what measures Government propose to take to save the materials already imported at the cost of considerable foreign exchange?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI AJIT SINGH): (a) and (b) Some cases had been filed by private sector units against the Union of India, seeking various reliefs in the matter of import of jumbo rolls. HPF had also been impleaded. In one of the cases the concerned court has also directed the manner of disposal of jumbo rolls.

Losses to BCCL and ECL on account of pilferage of coal

1987. SHRI S.S. AHLUWALIA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that large scale pilferage of coal has been one of the major reasons for loss of revenue to BCCL and ECL;

(b) whether it is also a fact that connivance of a large number of officers of these undertakings were detected in the pilferage cases during the course of investigations; and

(c) if so, what are the details of officers so detected since 1985 upto 31st March 1990 and what action has been taken against them?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI M. S. GURUPADASWAMY): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

इलैक्ट्रो-होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता दिया जाना

1988. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इलेक्ट्रो-होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता प्रदान करने के लिए गठित समिति का प्रतिवेदन कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है और उक्त प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और क्या इसमें कोई परिवर्तन किये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रशीद मसूद): (क) समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है और रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है।

(ख) समिति का गठन इस प्रकार है:—

1. महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति (डा० एस० पी० लिपाठी, अपर महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद) — अध्यक्ष
2. डा० एस० डी० सेठ — सदस्य, भेषज गणविज्ञान विभागाध्यक्ष, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली (डा० एन० के० भिडे, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, भेषजविज्ञान विभाग के स्थान पर उनके अनुरोध पर)
3. डा० डी० पी० रस्तोगी — सदस्य, निदेशक, केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद।
4. डा० पी० के० गुप्ता, सदस्य, औषध नियंत्रक, भारत।
5. डा० एस० डी० शर्मा, सदस्य सचिव, उपमहानिदेशक।

समिति की सदस्यता में इस समय कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Change of Status of Gandhigram Institute of Rural Health and Family Welfare, Ambathurai

1989. SHRI A. NALLASIVAN: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1196 given in the Rajya Sabha on 21st May, 1990 and state.

(a) whether the Gandhigram Institute